न्यायालय बाल न्यायालय (सेशन न्यायाधीश) झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारीः– **सुनील कुमार पंचोली,**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 09 जुलाई, 2026

सेशन प्रकरण संख्याः– 57/2024 (CIS N. 68/2024)

राज०राज्य बनाम चन्द्रशेखर

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 250/2023, पुलिस थाना पिलानी

अपराध अन्तर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 79
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सुभाष चन्द्र सिहाग, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज०)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक श्री रामावतार ढाका
अभियुक्त का नाम व पता	चन्द्रशेखर पुत्र पुरूषोत्तम, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 23 कस्बा पिलानी, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज०)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री नवीन चन्द्र महला

B

अपराध की दिनांक	24.06.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	24.06.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	19.03.2024
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	28.08.2024
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	25.09.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	**08.07.2026**
निर्णय दिनांक	**09.07.2026**
दण्डादेश की दिनांक	--

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तार करने की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा-428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए बालक द्वारा विचारण के दौरान निरूद्धगी में व्यतीत की गई अवधि
01	चन्द्रशेखर	19.03.24	19.03.24	374 भा०द०सं० व धारा 79 जेजे एक्ट	**दोषमुक्त**		––

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	सुभाष चन्द्र सिहाग	परिवादी
पी.डब्ल्यू 2	महेन्द्र सिंह	अन्य गवाह

पी.डब्ल्यू 3	आनन्द कुमार	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू 4	अमर सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 5	पीड़ित बालक "एस"	पीड़ित बालक
पी.डब्ल्यू 6	विजेन्द्र सिंह	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 7	धर्मेन्द्र कुमार	पुलिसकर्मी
पी.डब्ल्यू 8	पीड़ित बालक "पी"	पीड़ित बालक

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
-	–	–

–स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 3	फर्द दस्तयाबी पीड़ित बालकगण
04	प्रदर्श पी 4 व 5	फोटोग्राफ
05	प्रदर्श पी 6	नक्शा मौका घटनास्थल
06	प्रदर्श पी 7	प्रगति पत्र पीड़ित बालक ''एस''
07	प्रदर्श पी 8	आदेश, जिला बाल कल्याण समिति झुंझुनूं
08	प्रदर्श पी 8	पत्र थानाधिकारी
09	प्रदर्श पी 9	न्यायालय आदेशिका
10	प्रदर्श पी 10	साक्षी सम्मन पीड़ित बालक ''एस''
11	प्रदर्श पी 11	साक्षी सम्मन पीड़ित बालक ''पी''
12	प्रदर्श पी 12	प्रति आधार कार्ड पीड़ित बालक ''एस''
13	प्रदर्श पी 13	न्यायालय आदेशिका
14	प्रदर्श पी 14	प्रमाणित प्रति बयान 164 द०प्र०सं० बालक "एस"
15	प्रदर्श पी 15	नोटिस धारा 41 द०प्र०सं०
16	प्रदर्श पी 16	चैक लिस्ट धारा 41 द०प्र०सं०
17	प्रदर्श पी 17	बयान 164 द०प्र०सं० बालक "एस"
18	प्रदर्श पी 18	पुलिस बयान बालक "एस"
19	प्रदर्श पी 19	पुलिस बयान बालक "पी"

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
-	-	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
-	-	-

1. हस्तगत प्रकरण में बालकगण की पहचान सार्वजनिक न हो, इसलिए बालकगण का नाम गुप्त रखते हुये हस्तगत निर्णय में बालकगण को पीड़ित बालक "एस'' एवं पीड़ित बालक "पी'' के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2024 को सुभाष चन्द्र सिहाग, सहायक उप निरीक्षक ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना पिलानी पर इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 24.06.2023 को वह मय जाब्ता वास्ते ऑपरेशन उमंग ।। के तहत कार्यवाही रवाना होकर 3.10 पीएम पर बस स्टेण्ड के पास नाईनटी वन संजय साइकिल इजि. वर्क्स पिलानी की दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर दो बालक साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हुए नजर आये, इस पर दुकान पर जाकर बच्चों को पूछा तो उन्होंने अपनी उम्र 15 साल होना बताया। बालकगण से विधि विरूद्ध काम करवाने वाले दुकानदार ने अपना नाम चन्द्रशेखर पुत्र पुरूषोत्तम होना बताया। बालकगण ने बताया कि उनका मालिक चन्द्रशेखर उनको महीने की दस हजार रूपये मजदूरी देता है। बालकगण ने बताया कि वे करीब बारह माह से इस दुकान पर मजदूरी का काम कर रहे हैं। बालकों ने बताया कि सुबह नौ बजे दुकान पर आते हैं तथा सांय करीब पांच–छः बजे तक काम करते है। दुकानदान चन्द्रशेखर भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। मौके से फरार आरोपी चन्द्रशेखर का उक्त कृत्य बालकों से श्रम करवाया जाना धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता का पाये जाने पर बालकों को बालश्रम से मुक्त करवाया जाना अति आवश्यक होने पर बालकों को दस्तयाब कर हमराह लिया गया इत्यादि।

3. इस पर पुलिस थाना पिलानी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 250/2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया एवं तत्पश्चात अन्य आवश्यक नियमित अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जहां से प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 28.08.2024 को अभियुक्त चन्द्रशेखर के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 374 एवं धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाकर उसका विचारण किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 2 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया जिसमें उसने गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इनकार किया।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्त ने अपनी साइकिल की दुकान पर अप्राप्तवय पीड़ित बालकगण को उनकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए विवश किया व बंधक बनाकर नियोजन के प्रयोजन से कार्य करवाया। उनका तर्क है कि पी डब्ल्यू 1 सुभाष चन्द्र ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है अभियुक्त अपनी साइकिल की दुकान पर पीड़ित बालकगण से काम करवा रहा था जिसकी पुष्टि अन्य साक्षीगण ने भी की है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कड़ी सजा दी जावे।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। उनका तर्क है कि पीड़ित बालक ''एस'' पी डब्ल्यू 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उसने अभियुक्त चन्द्रशेखर के पास कभी काम नहीं किया और न उसने कभी श्रम करवाया। पीड़ित बालक ''पी'' पी डब्ल्यू 8 ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि चन्द्रशेखर ने उससे कभी कोई मजदूरी या बालश्रम नहीं करवाया। उक्त दोनों बालकगण पक्षद्रोही हुए हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। उनका तर्क है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया जाना साबित होता हो। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जावे।

10. उभयपक्ष को सुनने के उपरांत अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः–

''आया अभियुक्त ने दिनांक 24.06.2023 को 3:10 पीएम के लगभग कस्बा पिलानी स्थित अपनी नाईनटी वन संजय साइकिल इंजि. वर्क्स पर अप्राप्वय पीड़ित बालकगण को उनकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए विवश किया एवं बंधक बनाकर नियोजन के प्रयोजन से कार्य करवाया ?''

11. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पीड़ित बालकगण पी डब्ल्यू 5 व 8 है जिनमें पी डब्ल्यू 5 पीड़ित बालक ''एस'' ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह बस स्टेण्ड पिलानी पर संजय की दुकान पर काम करता था। उसके साथ बालक ''पी'' भी काम करता था। दिनांक 24.06.2023 को वे दोपहर में दुकान पर काम कर रहे थे तब पुलिस व दो लोग आये, उन्हें काम करते हुए को पकड़कर लेकर गए। दुकान का मालिक संजय था। यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि उसने अभियुक्त

चन्द्रशेखर के पास कभी काम नहीं किया और न ही उससे व बालक ''पी'' से कभी श्रम करवाया।

12. पी डब्ल्यू 8 पीड़ित बालक ''पी'' ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह आरोपी चन्द्रशेखर को नहीं जानता है। चन्द्रशेखर ने उससे कभी कोई मजदूरी या बालश्रम नहीं करवाया। यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि उसे व बालक ''एस'' को जब पुलिस ने पकड़ा था तब वे संजय के पास काम कर रहे थे। आरोपी चन्द्रशेखर ने उनसे कभी कोई बालश्रम या मजदूरी नहीं करवायी। दुकान का मालिक चन्द्रशेखर नहीं है।

13. पी डब्ल्यू 1 सुभाष चन्द्र सिहाग परिवादी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.06.2023 को वह पुलिस थाना पिलानी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस रोज समय 2:47 पीएम पर वह, विजेन्द्र कांस्टेबल, धर्मेन्द्र कांस्टेबल, महेन्द्र सिंह रेस्क्यू कॉर्डिनेटर व आनंद कुमार सीएसडब्ल्यू महिला कल्याण मण्डल अजमेर के साथ प्राईवेट वाहन से लैपटॉप व प्रिण्टर के साथ पुलिस थाना पिलानी से ऑपरेशन उमंग-।। के तहत कार्रवाई करने हेतु रवाना होकर 3:10 पीएम पर बस स्टेण्ड के पास नाईनटी वन संजय साइकिल इजीनियरिंग वर्क्स पिलानी की दुकान पर पहुंचा तो उस दुकान पर दो बच्चे साईकिल रिपेयरिंग का काम करते हुए नजर आये जिन्होंने अपनी उम्र 15 साल होना बतायी। बालकगण से उनसे विधि विरुद्ध काम करवाने वाले दुकानदार का नाम पता पूछा तो उन्होंने चन्द्रशेखर पुत्र पुरुषोतम होना बताया तथा उन्होंने यह भी बताया कि उन दोनों से 12 माह से उस दुकान पर मजदूरी करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वे सुबह नौ बजे आते हैं व शाम को पांच–छः बजे तक काम करते हैं। दुकानदार चन्द्रशेखर भीड़ का लाभ लेकर मौके से भाग गया था। मौके पर चन्द्रशेखर द्वारा अपनी दुकान पर बालकगण से श्रम करवाया जा रहा था। तत्पश्चात बालकों को बालश्रम से मुक्त करवाया जाकर दस्तयाब किया गया व वापसी थाना आकर चन्द्रशेखर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसके द्वारा पुलिस थाना पिलानी में रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवायी गयी जिसके आधार

पर दर्ज एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। मौके पर दोनों बालकों की फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 3 तैयार की गई, मौके पर बालकों की श्रम करते हुए की फोटो प्रदर्श पी 4 व 5 है। अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष प्रदर्श पी 6 नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल बनाया था। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने कथन किया है कि उसने मौके पर तथाकथित दुकान में कर्मचारियों के बाबत कोई हाजरी रजिस्टर या दस्तावेज नहीं देखा। उसने उस दुकान के मालिकाना हक बाबत व प्रोपराइटर बाबत कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया और न ही कोई रजिस्ट्रेशन या नंबर देखे। उसने बालकों से अभियुक्त चन्द्रशेखर की कोई शिनाख्त नहीं करवाई। उसने फोटोज के बाबत धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र नहीं दिया और न ही इनका पेन ड्राइव तैयार किया।

14. गवाह पी डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह, पी डब्ल्यू 3 आनन्द कुमार, पी डब्ल्यू 6 विजेन्द्र सिंह व पी डब्ल्यू 7 धर्मेन्द्र कुमार वक्त कार्यवाही परिवादी पी डब्ल्यू 1 सुभाष चन्द्र के साथ थे, जिन्होंने पी डब्ल्यू 1 सुभाष चन्द्र के कथनों के अनुरूप ही कथन किया है कि दिनांक 24.06.2023 को वे व सुभाषचन्द्र ऑपरेशन उमंग-।। के तहत कार्रवाई करने हेतु पुलिस थाना पिलानी से रवाना होकर समय 3:10 पीएम पर बस स्टेण्ड के पास नाईनटी वन संजय साइकिल इजीनियरिंग वर्क्स पिलानी की दुकान पर पहुंचे थे, जहां पर दो बच्चे साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। बच्चों ने अपनी उम्र 15 साल होना बतायी, उन्होंने बताया कि उनसे दुकानदार चन्द्रशेखर पिछले बारह महीने से श्रम करवा रहा है और वे प्रतिदिन सुबह नौ बजे आते हैं व शाम को पांच–छः बजे तक काम करते हैं। मौके से चन्द्रशेखर भीड़ का लाभ लेकर भाग गया था। चन्द्रशेखर द्वारा अपनी दुकान पर बालकगण से श्रम करवाया जा रहा था। तत्पश्चात बालकों को बालश्रम से मुक्त करवाया जाकर दस्तयाब किया गया। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाहान ने कथन किया है कि उन्होंने दुकान के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं देखे।

15. पी डब्ल्यू 4 अमर सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने भी स्वयं द्वारा अनुसंधान संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण देते हुए

तत्संबंधित प्रपत्रों व फर्दात को प्रदर्शित किया है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में** इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मौके के आस–पास के किसी व्यक्ति के बयान नहीं लिए गए। प्रदर्श पी 4 व 5 फोटो किस फोन से खींची गयी इस बाबत उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। उसने उक्त दुकान के मालिक व प्रोपराइटर बाबत कोई दस्तावेज नहीं लिए। बालकगण की जन्म दिनांक बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया। उसने मौके पर कर्मचारियों के हाजरी रजिस्टर या अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिए।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषणानुसार हस्तगत प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी डब्ल्यू 5 पीड़ित "एस" एवं पी डब्ल्यू 8 पीड़ित बालक "पी" है। पी डब्ल्यू 5 पीड़ित "एस" ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह संजय की दुकान पर काम करता था जबकि संजय इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से अभियुक्त चन्द्रशेखर के पास कभी काम नहीं करना कथन किया है। पी डब्ल्यू 8 बालक ''पी'' ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त चन्द्रशेखर को नहीं जानना एवं चन्द्रशेखर द्वारा उससे कभी कोई मजदूरी या बालश्रम नहीं करवाया जाना कथन किया है। उक्त दोनों बालकगण पक्षद्रोही हुए हैं जो अपने सशपथ कथनों में ऐसा कोई कथन नहीं करते हैं जिससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कहानी के तथ्यों को साबित करने में कोई सहायता मिलती हो। इन साक्षीगण ने अभियुक्त द्वारा उनसे बालश्रम करवाये जाने से स्पष्ट इनकार किया है।

17. पी डब्ल्यू 1 सुभाष चन्द्र परिवादी एवं कार्यवाही करने वाला अधिकारी है जिसने अपनी साक्ष्य में पीड़ित बालकगण से अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर बालश्रम करवाया जाना कथन किया है परन्तु इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने मौके पर तथाकथित दुकान के कर्मचारियों के बाबत कोई हाजरी रजिस्टर या दस्तावेज नहीं देखा। दुकान के मालिकाना हक व प्रोपराइटर बाबत कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। कार्यवाही के अन्य गवाहान ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उन्होंने दुकान के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं देखे। पी डब्ल्यू 4 अमर सिंह अनुसंधान

अधिकारी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त दुकान के मालिक व प्रोपराइटर बाबत कोई दस्तावेज नहीं लिए। उसने कर्मचारियों के हाजरी रजिस्टर या अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिए।

18. अभियोजन की ओर से ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि पीड़ित बालकगण अभियुक्त के नियोजन में थे। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त ने पीड़ित बालकगण से उनकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करवाया हो और नियोजन के प्रयोजन से अपनी दुकान पर कार्य करवाया हो।

19. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि पीड़ित बालक ''एस'' ने संजय की दुकान पर कार्य किया जाना बताया है जबकि इस प्रकरण में उक्त संजय को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। पीड़ित बालकगण ने अभियुक्त चन्द्रशेखर द्वारा उनसे बालश्रम करवाये जाने से स्पष्ट इनकार किया है। अभियुक्त चन्द्रशेखर उक्त दुकान का मालिक हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य सन्देहास्पद हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़ित बालकगण से बालश्रम करवाया गया हो। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध तब तक साबित नहीं माना जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष उक्त आरोप को सन्देह से परे साबित न कर दे। यदि अभियोजन पक्ष की कहानी में तनिक भी विरोधाभास एवं सन्देह है तो उस सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

20. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषणानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.06.2023 को कस्बा पिलानी स्थित अपनी नाईनटी वन संजय साइकिल इंजि. वर्क्स पर अप्राप्वय पीड़ित बालकगण को उनकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए विवश किया एवं बंधक बनाकर नियोजन के प्रयोजन से कार्य करवाया। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्ति का अधिकारी है।

आदेश

21. परिणामतः अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र पुरूषोत्तम, निवासी वार्ड नंबर 23 कस्बा पिलानी, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनूं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा **374** एवं धारा **79** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

23. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानान्तर्गत पच्चीस हजार रूपये की एक प्रतिभूति एवं इसी राशि का निजी बंधपत्र छः माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें कि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने की सूरत में नोटिस प्राप्त होने पर वह स्वयं अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

24. निर्णय आज दिनांक **09 जुलाई, 2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
(बाल न्यायालय)
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.10 15:41:28 IST